"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. सं. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 631] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014—— अग्रहायण 24, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014 (अग्रहायण 24, 1936)

क्रमांक -12132/वि. स./विधान/2014. —– छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) जो सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 19 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) की धारा 5 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(4) प्रमुख सचिव/सचिव या सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्ति को, उसकी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने अथवा उसकी 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, बिना कोई कारण बताये, उसे तीन माह की लिखित सूचना देकर, लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि सूचना के स्थान पर अंतिम आहरित दर से तीन माह के वेतन का भुगतान करके, सेवानिवृत्ति को तत्काल प्रभावशील किया जा सकेगा."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 19 सन् 2000), जो दिनांक 14 जून, 2000 से प्रवृत्त हुआ है, के द्वारा मूलभूत नियम-56 में उपबंधित शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया गया था-

"(क) किसी शासकीय सेवक को, उसकी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने या उसकी 50 वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाये, उसे लिखित सूचना देकर, लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा."

तदनुसार, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20 सन् 1981) में भी मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) के द्वारा संशोधन किया गया था, किन्तु मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के कारण, उक्त संशोधन को, छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकृत नहीं किया जा सका है.

अतएव, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20 सन् 1981) के उक्त प्रावधान में संशोधन करने का विनिश्चय किया है.

रायपुर,
दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

अजय चंद्राकर
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्र. 20 सन् 1981) की धारा 5 की उप-धारा (4) का सुसंगत उद्धरण :-

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 5 की उप-धारा (4)

"(4) सचिव या सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्ति को, उसकी पचपन वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात् किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाए, उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा :

परन्तु सेवानिवृत्त को सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान अंतिम आहरित (लास्टड्रान) वेतन की दर से करके, तत्काल प्रभावशील किया जा सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.